संख्या– 126 /बीस–4/2014–4(46)/2013

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग,
देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 26 मार्च 2014

विषय– जनपद देहरादून में मा0 उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के कार्यालय/आवास के निर्माण हेतु कुल 0.1080 है0 भूमि, मा0 उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–161/XVIII(II)/2014–18(23)/2014, दिनांकः 05.03.2014 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील सदर के ग्राम तरला नागल के खतौनी सं0–622 एवं 624 खसरा सं0–295ख रकबा 0.0060 व 295ग रकबा 0.1020 है0 कुल रकबा 0.1080 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002. दिनांकः 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–161/XVIII(II)/2014–18(23)/ 2014, दिनांकः 05.03.2014 के द्वारा गृह विभाग को आवंटित की गयी भूमि को गृह विभाग के स्तर से मा0 उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के कार्यालय/आवास के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्कता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग मे स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जां रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तान्तरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में सिविल अपील ससंख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्गत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– तद्नुसार जिलाधिकारी, देहरादून के साथ समन्वय करते हुये प्रश्नगत भूमि मा0 उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या–126/बीस–(4)/2014–4(46)/2013, तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।